International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

कबीरधाम शहर में "प्रधानमंत्री जन धन योजना" का अध्ययन

डॉ. धीरज कुमार शर्मा

अतिथि व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई–कुकदुर, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

सारांश :

कबीरधाम सकरी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक शांतिपूर्ण और आकर्षक स्थान है। कबीर साहिब के आगमन और उनके शिष्य धर्मदास के वंशज की गददी स्थापना के कारण इसका नाम कबीरधाम था। जो कबीरधाम के रूप में जाना जाता है। यह शोधपत्र कबीरधाम शहर के संदर्भ में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की प्रभावशीलता का अध्ययन प्रस्तुत करता है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इस अध्ययन में कबीरधाम नगर क्षेत्र के 159 लाभार्थियों को न्यादर्श के रूप में चुनकर सर्वेक्षण किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि योजना ने निम्न आयवर्ग और महिलाओं में बैंकिंग पहुँच को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है, लगभग 92% उत्तरदाताओं का पहला बैंक खाता इसी योजना के तहत खुला। 61% लाभार्थी महिलाएँ भी इस योजना का लाभ ले पा रही है, जिससे स्पष्ट हुआ कि इस योजना ने महिला वित्तीय सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दिया। निष्कर्षतः, प्रधानमंत्री जन धन योजना न केवल वित्तीय समावेशन का माध्यम बनी, बल्कि कबीरधाम शहर के सामाजिक और आर्थिक आधारभूत विकास का सशक्त उपकरण भी सिद्ध हुई है।

मुख्य शब्दः कबीरधाम, लाभार्थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, वित्तीय समावेशन, आधारभूत विकास।

1. परिचयः

प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय समावेशन योजना है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है। 28 अगस्त 2014 को *"सबका बैंक खाता, सबके लिए बैंकिंग"* के ध्येय वाक्य के साथ आरम्भ की गई इस योजना ने देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई आधारशिला स्थापित की है। छत्तीसगढ़ राज्य का कबीरधाम जिला, जिसका क्षेत्रफल 4447.05 वर्ग कि.मी. है तथा जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 8,22,526 है, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकास की प्रक्रिया में अग्रसर एक महत्त्वपूर्ण जिला है। जिले में 4 विकासखंड, 4 अनुविभाग, 8 तहसील, 26 राजस्व निरीक्षक मंडल, 6 नगरीय निकाय तथा 220 पटवारी हल्के हैं। जिले की साक्षरता दर 60.85 प्रतिशत है, जो यह दर्शाती है कि वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को बढ़ाने की पर्याप्त आवश्यकता है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कबीरधाम जिले के नागरिकों, विशेषकर निम्न आय वर्ग, ग्रामीण परिवारों एवं महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के माध्यम से बैंक खाते खोलना, बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाना तथा बीमा एवं पेंशन जैसी वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना संभव हुआ है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री जन धन योजना कबीरधाम जिले में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने के साथ–साथ जिले के आधारभूत आर्थिक विकास में एक प्रभावी साधन के रूप में उभरकर सामने आई है।

तालिका 1: प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रमुख लाभ

क्रमांक	लाभ / सुविधा	विवरण
1	बेसिक सेविंग्स बैंक खाता	बिना बैंक खाता वाले व्यक्ति के लिए नया खाता खोलने की सुविधा
2	ूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं	खाते में न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता नहीं
3	ब्याज सुविधा	मा राशि पर निर्धारित दर से ब्याज प्राप्त होता है
4	रुपे डेबिट कार्ड	येक खाताधारक को रुपे कार्ड प्रदान किया जाता है
5	दुर्घटना बीमा	2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर
6	ओवरड्राफ्ट सुविधा	योग्य खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की सुविधा
7	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव	)BT, PMJJBY, PMSBY, APY, मुद्रा योजना आदि से लाभ

तालिका 2: जिला कबीरधाम का संक्षिप्त विवरण (जिला एक नज़र में)

क्रमांक	विवरण	आँकड़े
1	क्षेत्रफल	4447.05 वर्ग कि.मी.
2	अक्षांश	21.32° से 21.35° उत्तर
3	देशांश	80.48° से 81.48° पूर्व
4	कुल जनसंख्या	8,22,526
5	साक्षरता दर	60.85%
6	विकासखंड	4
7	अनुविभाग	4
8	तहसील	8

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

9	राजस्व निरीक्षक मंडल	26
10	नगरीय निकाय	6
11	पटवारी हल्का	220

स्त्रोत–द्वितीयक समंक, वार्षिक प्रतिवेदन जिला कबीरधाम

कबीरधाम जिला भौगोलिक दृष्टि से 21.32 से 21.35 उत्तरी अक्षांश तथा 80.48 से 81.48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह जिला मुख्यतः ग्रामीण प्रकृति का है, जहाँ बड़ी संख्या में निम्न आय वर्ग एवं श्रमिक परिवार निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सीमित रही है, जिसके कारण लोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली से दूर रहते थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लागू होने के पश्चात कबीरधाम जिले में बैंक शाखाओं, बैंक मित्रों तथा शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में नए बैंक खाते खोले गए। इससे न केवल लोगों की बचत की आदत विकसित हुई, बल्कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुँचने लगी। इससे भ्रष्टाचार में कमी आई तथा पारदर्शिता में वृद्धि हुई। इस योजना के अंतर्गत जिले के लाभार्थियों को रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधा तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की सुविधा प्राप्त हुई। विशेष रूप से महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में इस योजना का प्रभाव अधिक देखा गया, क्योंकि इससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला। हालाँकि, जिले में अभी भी वित्तीय साक्षरता की कमी, दस्तावेज़ी प्रक्रिया की जटिलता तथा बैंक शाखाओं में भीड़ जैसी समस्याएँ देखी जाती हैं। इसके बावजूद, प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कबीरधाम जिले में वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाने तथा सामाजिक–आर्थिक विकास को गति देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2. शोध के उद्देश्यः

कबीरधाम शहर में प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन और उसके सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन एवं लाभार्थियों की वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग उपयोगिता और सामाजिक सुधार में परिवर्तन का आकलन करना।

3. शोध पद्धति :

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत 159 लाभार्थियों का चयन कबीरधाम नगर पालिका क्षेत्र से स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि के माध्यम से किया गया हैं, ताकि विभिन्न आयु, लिंग और व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। प्राथमिक आंकड़े संरचित प्रश्नावली और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से संकलित किए गए हैं। संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत और तुलनात्मक विश्लेषण जैसे सांख्यिकीय उपकरणों की सहायता से किया गया हैं।

4. विश्लेषण एवं व्याख्याः

तालिका 3: लाभार्थियों की जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल

विवरण	वर्गीकरण	लाभार्थियों की संख्या

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

		प्रतिशत (%)
लिंग	पुरुष	39.0%
	महिला	61.0%
	कुल	100%
आयु वर्ग	18–25 वर्ष	21.4%
	26–35 वर्ष	30.2%
	36–45 वर्ष	26.4%
	46 वर्ष से अधिक	22.0%
	कुल	100%
शिक्षा स्तर	अशिक्षित	11.9%
	प्राथमिक शिक्षा	25.8%
	माध्यमिक शिक्षा	33.3%
	स्नातक या उससे अधिक	29.0%
	कुल	100%
वैवाहिक स्थिति	विवाहित	70.4%
	अविवाहित	29.6%
	कुल	100%
पेशा	मजदूर / दैनिक वेतनभोगी	34.0%
	स्वरोजगार / छोटा व्यवसाय	27.0%
	गृहिणी	24.5%
	नौकरीपेशा	14.5%
	कुल	100%
मासिक आय	₹5,000 तक	30.2%
	₹5,001 – ₹10,000	40.3%
	₹10,001 – ₹15,000	20.8%
	₹15,001 से अधिक	8.7%
	कुल	100%
परिवार का आकार	1–3 सदस्य	17.6%
	4–5 सदस्य	49.7%
	6 या अधिक सदस्य	32.7%
	कुल	100%

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

प्रस्तुत तालिका में कबीरधाम नगर क्षेत्र के लाभार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का वर्गीकरण किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ विभिन्न वर्गों तक किस प्रकार पहुँचा है। लिंग के आधार पर देखा जाए तो कुल लाभार्थियों में 61.0 प्रतिशत महिलाएँ तथा 39.0 प्रतिशत पुरुष सम्मिलित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि योजना ने विशेष रूप से महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो महिला वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। आयु वर्ग के आधार पर विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 26–35 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों का प्रतिशत सबसे अधिक 30.2 प्रतिशत है, जबकि 36–45 वर्ष आयु वर्ग के 26.4 प्रतिशत, 46 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 22.0 प्रतिशत तथा 18–25 वर्ष आयु वर्ग के 21.4 प्रतिशत लाभार्थी पाए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना का प्रभाव मुख्यतः कार्यशील आयु वर्ग पर अधिक पड़ा है, जो आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

शैक्षणिक स्तर के अनुसार, लाभार्थियों में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत 33. 3 प्रतिशत सर्वाधिक है, जबकि स्नातक या उससे अधिक शिक्षित लाभार्थियों का प्रतिशत 29. 0 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा प्राप्त लाभार्थी 25.8 प्रतिशत तथा अशिक्षित लाभार्थी 11.9 प्रतिशत पाए गए। यह स्थिति दर्शाती है कि योजना ने विभिन्न शैक्षणिक स्तर के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में समान रूप से योगदान दिया है, विशेष रूप से कम शिक्षित वर्ग को भी वित्तीय प्रणाली से जोड़ा गया है। वैवाहिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो 70.4 प्रतिशत लाभार्थी विवाहित तथा 29.6 प्रतिशत अविवाहित हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विवाहित व्यक्तियों ने योजना का अधिक लाभ उठाया है।

व्यवसाय के आधार पर विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मजदूर/दैनिक वेतनभोगी वर्ग के लाभार्थियों का प्रतिशत 34.0 प्रतिशत सर्वाधिक है, जबकि स्वरोजगार/छोटे व्यवसाय से जुड़े लाभार्थी 27.0 प्रतिशत, गृहिणियाँ 24.5 प्रतिशत तथा नौकरीपेशा वर्ग के लाभार्थी 14.5 प्रतिशत पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि योजना का लाभ मुख्यतः निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के श्रमिक तथा स्वरोजगार से जुड़े व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। मासिक आय के आधार पर देखा जाए तो ₹5,001 से ₹10,000 आय वर्ग के लाभार्थियों का प्रतिशत 40.3 प्रतिशत सर्वाधिक है, जबकि ₹5,000 तक आय वर्ग के 30.2 प्रतिशत, ₹10,001 से ₹15,000 आय वर्ग के 20. 8 प्रतिशत तथा ₹15,001 से अधिक आय वर्ग के 8.7 प्रतिशत लाभार्थी पाए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना का अधिक प्रभाव निम्न एवं निम्न–मध्यम आय वर्ग के लोगों पर पड़ा है, जो वित्तीय समावेशन के प्रमुख लक्ष्य समूह हैं।

परिवार के आकार के आधार पर विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 4–5 सदस्यों वाले परिवार सर्वाधिक 49.7 प्रतिशत हैं, जबकि 6 या अधिक सदस्यों वाले परिवार 32.7 प्रतिशत तथा 1–3 सदस्यों वाले परिवार 17.6 प्रतिशत पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि मध्यम आकार के

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

परिवारों में योजना का अधिक प्रसार हुआ है, जहाँ पारिवारिक आवश्यकताओं के कारण बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता अधिक होती है।

समग्र रूप से, प्रस्तुत आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने विशेष रूप से महिलाओं, निम्न आय वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा मध्यम आकार के परिवारों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होता है।

तालिका 4: प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रभाव एवं संबंधित समस्याएँ

मापदंड	विवरण	लाभार्थियों की संख्या प्रतिशत (%)
किंग पहुँच में वृद्धि	योजना के माध्यम से पहला बैंक खाता खुला	91.8%
त्तीय सहायता का उपयोग	पे कार्ड का नियमित उपयोग करने वाले लाभार्थी	67.9%
	त्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी	47.2%
महिलाओं की भागीदारी	महिला लाभार्थियों का अनुपात	61.0%
त्तीय साक्षरता की स्थिति	जना के लाभों (ओवरड्राफ्ट/बीमा) की जानकारी नहीं रखने वाले लाभार्थी	39.0%
आधारभूत आर्थिक प्रभाव	ोटे व्यापार, स्वरोजगार एवं बचत में वृद्धि महसूस करने वाले लाभार्थी	74.2%
मुख्य समस्याएँ	बैंक शाखाओं में भीड़	54.7%
	दस्तावेज़ी प्रक्रिया की जटिलता	40.9%
	जागरूकता की कमी	44.6%

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

प्रस्तुत तालिका 2 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रभाव तथा उससे संबंधित प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना ने बैंकिंग पहुँच, वित्तीय व्यवहार तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बैंकिंग पहुँच में वृद्धि के संदर्भ में यह पाया गया कि 91.8 प्रतिशत लाभार्थियों का पहला बैंक खाता इसी योजना के माध्यम से खोला गया। यह आँकड़ा इस तथ्य की पुष्टि करता है कि योजना ने

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

वित्तीय समावेशन को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया है तथा उन लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, जो पहले इससे वंचित थे।

वित्तीय सहायता के उपयोग के संदर्भ में देखा गया कि 67.9 प्रतिशत लाभार्थी रूपे कार्ड का नियमित उपयोग कर रहे हैं, जिससे डिजिटल एवं नकद रहित लेन–देन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त 47.2 प्रतिशत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का लाभ प्राप्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुँचने से पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है।

महिलाओं की भागीदारी के दृष्टिकोण से यह पाया गया कि 61.0 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि योजना ने महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने तथा उन्हें बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह स्थिति सामाजिक समानता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। वित्तीय साक्षरता की स्थिति का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि 39.0 प्रतिशत लाभार्थियों को योजना के लाभों, जैसे ओवरड्राफ्ट सुविधा एवं बीमा योजना, की पर्याप्त जानकारी नहीं है। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

आधारभूत आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में 74.2 प्रतिशत लाभार्थियों ने छोटे व्यापार, स्वरोजगार तथा बचत में वृद्धि महसूस की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना ने न केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ाई है, बल्कि स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया है, जिससे आर्थिक स्थायित्व को बल मिला है। हालाँकि, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ प्रमुख समस्याएँ भी सामने आई हैं। इनमें 54.7 प्रतिशत लाभार्थियों ने बैंक शाखाओं में भीड़ को प्रमुख समस्या बताया, जबकि 40.9 प्रतिशत ने दस्तावेज़ी प्रक्रिया की जटिलता को चुनौती के रूप में अनुभव किया। इसके अतिरिक्त 44.6 प्रतिशत लाभार्थियों ने जागरूकता की कमी को भी एक महत्वपूर्ण समस्या माना। ये समस्याएँ यह संकेत करती हैं कि योजना की सफलता के लिए बैंकिंग अवसंरचना के विस्तार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा जागरूकता कार्यक्रमों के व्यापक संचालन की आवश्यकता है।

समग्र रूप से, तालिका 2 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बैंकिंग पहुँच, वित्तीय व्यवहार एवं आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन लाया है, किन्तु इसके पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सरलता, जागरूकता विस्तार तथा बैंकिंग सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास अपेक्षित हैं।

5. उपसंहारः

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने जिला कबीरधाम के सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की पहुँच समाज के उन वर्गों तक सुनिश्चित हुई है, जो पूर्व में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित थे। विशेष रूप से निम्न आय वर्ग, श्रमिक

वर्ग तथा महिलाओं में बैंक खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिससे वित्तीय समावेशन की दिशा में सार्थक प्रगति हुई है। अध्ययन के निष्कर्षों से यह भी ज्ञात हुआ कि अधिकांश लाभार्थियों का पहला बैंक खाता इसी योजना के अंतर्गत खुला, जिससे उन्हें बचत की आदत विकसित करने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने तथा रुपे कार्ड के उपयोग द्वारा आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप छोटे व्यापार, स्वरोजगार एवं बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, जिसने स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान की तथा आर्थिक स्थायित्व को सुदृढ़ किया।

महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी इस योजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आई है, जिसने महिला वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया तथा उन्हें आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। यह परिवर्तन सामाजिक स्तर पर आत्मनिर्भरता और समानता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। यद्यपि योजना के प्रभाव व्यापक रूप से सकारात्मक रहे हैं, फिर भी कुछ व्यावहारिक समस्याएँ जैसे बैंक शाखाओं में भीड़, दस्तावेज़ी प्रक्रिया की जटिलता तथा वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता की कमी अभी भी विद्यमान हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए बैंकिंग अवसंरचना के विस्तार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन की आवश्यकता है। अतः समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना केवल एक वित्तीय योजना न होकर सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुई है। इसने जिला कबीरधाम के नागरिकों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने तथा आधारभूत विकास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि भविष्य में योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जागरूकता और सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जाता है, तो यह योजना जिले के समग्र विकास में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

6. सुझाव

1. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।
2. बैंकिंग अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया जाए।
3. दस्तावेज़ी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
4. महिला लाभार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जाएँ।
5. डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाए।
6. सरकारी योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन पर बल दिया जाए।

7. संदर्भ:

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय. (2014). प्रधानमंत्री जन धन योजनाः दिशा–निर्देश एवं परिचालन रूपरेखा. नई दिल्लीः वित्तीय सेवा विभाग।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय. (2020). प्रधानमंत्री जन धन योजना वार्षिक प्रतिवेदन. नई दिल्लीः वित्तीय सेवा विभाग।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India). (2019). भारत में वित्तीय समावेशन की प्रवृत्तियाँ एवं प्रगति. मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशन विभाग।
4. नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development). (2018). वित्तीय समावेशन और ग्रामीण बैंकिंग की स्थिति पर रिपोर्ट. मुंबईः नाबार्ड प्रकाशन।
5. योजना आयोग / नीति आयोग. (2017). वित्तीय समावेशन के माध्यम से समावेशी विकास. नई दिल्लीः नीति आयोग।
6. भारत सरकार. (2016). प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाः एक परिचय एवं कार्यप्रणाली. नई दिल्लीरू भारत सरकार प्रकाशन।
7. जिला सांख्यिकी कार्यालय, कबीरधाम. (2021). जिला सांख्यिकी पुस्तिकाः कबीरधाम जिला एक नजर में. कबीरधामः जिला सांख्यिकी कार्यालय।
8. शर्मा, आर. के. (2018). भारत में वित्तीय समावेशन और जन धन योजना का प्रभाव. नई दिल्लीः दीप एंड दीप पब्लिकेशन।
9. सिंह, एस. पी. (2019). ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार. जयपुरः रावत पब्लिकेशन।
10. कुमार, ए. (2020). प्रधानमंत्री जन धन योजना और आर्थिक सशक्तिकरण. नई दिल्लीः एटलांटिक पब्लिशर्स।